FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

श्री आफताबअहमद पिता नूर मोहम्मद कायमखानी मुसलमान निवासी भीमपुराा तहसील बनेड़ां जिला भीलवाड़ा	बनाम	1.श्री अब्दुल खां पिता नूर मोहम्मद कायमखानी मुसलमान नि0 भीमपुरा त0 बनेड़ा 2. श्रीमती ताजाबाई पत्निनूर मोहम्मद कायमखानी मुसलमान नि0 भीमपुरा त0 बनेड़ा 3. श्री सरफराज पिता कयूम खां कायमखानी मुसलमान नि0 भीमपुरा त0 बनेड़ा 4. नसीम बानू पुत्री कयूम खां कायमखानी मुसलमान नि0 भीमपुरा त0 बनेड़ा 5.श्रीमती अलादी बानू पत्नि कयूम खां कायमखानी मुसलमान नि0 भीमपुरा त0 बनेड़ा 5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा
– अपीलान्ट		–रेस्पोडेन्ट्स

प्रकरण संख्या 16 / 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06.2017	प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जावे। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21 / 06 / 2017 को पेश हो। जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
21-6-2017	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी श्री राजकीय कार्य से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली आइन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 12/7/2017 को पेश हो। रेस्पोडेन्ट्स बावजूद तामील उपस्थित नहीं। आदेश से	
12/7/2017	वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 5 बावजूद तामील उपस्थित नहीं न ही किसी अधिवक्ता का अधिकार पत्र पेश हुआ है अतः इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा की जाती है। रेस्पोडेन्ट सं0 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दि0 18/7/2017 को पेश हो। पुनश्च – वकील अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई अधिवक्ता हाजिर नहीं होने	

तथा एकतरफा आदेश पारित हो जाने से वकील अपीलान्ट द्वारा बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया। न्यायहित में बहस सुनी जाना उचित होने व प्रकरण की प्रकृति अनुसार बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम भीमपुरा में अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय नूर मोहम्मद खां पिता शब्द खां की आराजीयात स्थित है। श्री नूर मोहम्मद का स्वर्गवास हो जाने से तहसीलदार बनेड़ा के द्वारा इन्तकाल नं० 59 विरासत का खोला गया जिसमें अपीलार्थी का नाम महबूब खां लिख दिया जबकि अपीलान्ट का नाम आफताब अहमद है।

उक्त इन्द्राज के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने नोटरी से तस्दीक शुदा शपथ-पत्र, आधार कार्ड सं० 436982983064 की फोटो प्रति, भारत सरकार रेल मंत्रालय पश्चिम रेलवे से अपीलान्ट के नाम जारी पेंशन पहचान पत्र की फोटो प्रति पेश की है। आधार कार्ड व रेलवे मंत्रालय से जारी पेंशन पहचान

आफताब अहमद बनाम अब्दुल खां वगैरह
अपील सं० 16/2017

पत्र में अपीलान्ट का नाम आफताब अहमद पिता नूर मोहम्मद कायमखानी दर्ज है। इसकी पुष्टि में अपीलान्ट ने नोटरी से तस्दीकशुदा शपथ-पत्र भी पेश किया है। नाम संशोधन हेतु स्वयं राजकीय अभिभाषक द्वारा भी मौखिक सहमति व्यक्त की। इसी प्रकार अन्य रेस्पोंडेन्ट सं० 1 से 5 जो कि अपीलान्ट के परिवारजन है जिनके द्वारा भी नाम संशोधन के विरोध में किसी प्रकार का खण्डन लिखित या मौखिक रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर नहीं किया इससे इनकी मौन सहमति मानी जाती है। अपीलान्ट केन्द्रीय सेवा रेल्वे विभाग में कार्यरत होकर बाहर रहता था जिससे तहसीलदार बनेड़ा के द्वारा खोले गए विरासत के नामान्तकरण सं० 59 दि० 8/6/1992 की जानकारी नहीं होना व अपीलान्ट का नाम आफताब अहमद के बजाय महबूब खां बिना जाँच किए दर्ज किया जो कि प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शुद्ध किया जाना उचित है।

अपील सं० 16/2017 - आफताब अहमद
बनाम अब्दुल खां वगैरह

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं० 59 निर्णय दिनांक 8-6-1992 को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई कर अजसरे निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार बनेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे मौके पर जाँच कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर स्व० नूर मोहम्मद के वारिसान का इन्तकाल दायर कर निर्णित करें।

आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा रिकार्ड हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा